GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2013/TG-I/20/P/VAT New Delhi, dated 06.05.2016

The General Managers(Comml.)
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 23 of 2016)

Sub: Policy on earmarking of berths on demand from IRCTC for Value Added Tour packages.

In supersession of all previous instructions issued regarding earmarking of berths in existing trains and in additional coaches on demand by Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC) under Value Added Tour (VAT) packages following instructions shall be applicable.

1.0 Booking

1.1 Number of berths to be earmarked in the Passenger Reservation System for the value added tour packages of IRCTC would be finalized by IRCTC in consultation with the CCM/PMs of the concerned Zonal Railways at least ARP + 10 days in advance of the scheduled commencement of the first trip.

1.2 The number of berths earmarked for this purpose shall not exceed 10% of total berths in Sleeper class and 15% of total berths in AC Class in that train.

1.3 Initially the extent of accommodation to be earmarked should be 5% of the total berths in case of sleeper class and 10% of total berths in AC classes.

1.4 Based on the utilization, the same can be increased up to 10 percent and 15 percent respectively with the approval of CCM/PM concerned.

1.5 The berths decided to be earmarked shall be incorporated in the train profile.

1.6 The Value Added Tour packages shall cover both peak and non-peak periods.

1.7 The periodicity and the number of berths should be uniform through the currency of the tour so as to reduce the requirement of maintenance of varying Database in the PRS. Any relaxation in this regard should be decided in consultation with CCM/PM.

1.8 IRCTC shall develop Value Added Tour packages based on these earmarked berths by including sightseeing, stay, etc. and will market these tourism products.
The accommodation earmarked for VAT packages may be reviewed periodically by the concerned CCM/PM and wherever it is found that these packages are being poorly patronized, the accommodation so earmarked may be reduced or withdrawn.

...2/-

2/5/16

2.0 Payment

2.1 For each berth utilized by IRCTC, IRCTC shall pay the full fare plus 25% service charge. No concession whatsoever shall be admissible on such tour package ticket. Ticket for child, senior citizens, etc. shall also be issued on full fare. The method of arriving at the fare including the service charge and deposit is illustrated in the annexure.

2.2 A lump sum amount equivalent to the passenger fare including the above mentioned service charge as applicable for the total berths earmarked plus a deposit of 25% thereon for the first trip for each circuit shall be taken at the time of earmarking the accommodation. This deposit will be refunded on completion of the currency of the particular value added tour packages.

2.3 The list of names of the tourists booked along with the other relevant details such as gender, age, etc. shall be given by IRCTC 48 hours before the scheduled departure of the train to the CCM/PM as well as to the CRS/Charting at the train originating station. These details shall be incorporated in the PRS database and also on the chart.

2.4 IRCTC in consultation with CRIS and CCM/PM would evolve a procedure for e-booking of the earmarked berths by IRCTC. If booking is done through e-ticketing, suitable procedure will be evolved by IRCTC for adjustment of fare as applicable plus 25% service charge for the berths booked by IRCTC for value added tour package against the existing rolling lump sum deposit that IRCTC has been maintaining with Northern Railway.

3.0 Cancellation of Tickets, Refunds & Other Safeguards

3.1 Out of total berths earmarked for this purpose for IRCTC, not more than 20% of the earmarked berths shall be permitted for cancellation. No cancellation shall be permitted within 48 hours of the scheduled departure of the train.

3.2 The unutilized berths released by IRCTC to Railways 48 hours before scheduled departure of the trains shall be used to update Tatkal waiting list followed by general waiting list of that train.

3.3 In case of cancellation of the train/non attachment of coach in which accommodation has been earmarked for VAT packages, refund due to IRCTC as per provisions of refund rules shall be admissible.

3.4 The officers from IRCTC shall personally verify the additional features of VAT and also develop a mechanism about the response of the customers for the total package and its long term life cycle value of the customer.

3.5 These should be branded tour packages of IRCTC.

3.6 IRCTC should also be asked to undertake an aggressive campaign during lean period when most of the trains are vacant.

3.7 Indian Railways shall not be liable for any consequential damages arising out

...3/-

2/5/16

of any agreement/provision between the passenger and IRCTC. Indian Railways shall also not be responsible for any damages if the scheme/package is terminated at short notice.

3.8 IRCTC shall be solely responsible for ensuring compliance of all conditions as laid down by Indian Railways.

3.9 If there is no post of CCM/PM on some zonal railway, the powers shall be exercised by CCM/PS or any other office authorised by CCM.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of this Ministry. These instructions shall be effective from 01.04.2016.

Necessary instructions may be issued to all concerned.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2013/TG-I/20/P/VAT New Delhi, dated 06.05.2016

Copy forwarded to:

1. ADAI(Railways), New Delhi with 36 spares.
2. FA&CAOs, All Zonal Railways.

for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
*****

सं.2013/टीजी-I/20/पी/वैट नई दिल्ली, दिनांक 06.05.2016

महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 23)

विषयः मूल्य संवर्धित टूर पैकेजों के लिए आईआरसीटीसी से मांग प्राप्त होने पर बर्थों को चिह्नित करने की नीति।

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा मूल्य संवर्धित टूर पैकेजों के अन्तर्गत मांग किए जाने पर विद्यमान गाड़ियों में और अतिरिक्त कोचों में बर्थों को चिह्नित करने के संबंध में सभी पूर्ववर्ती अनुदेशों के अधिक्रमण में अब निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगेः

1.0 बुकिंग

1.1 आईआरसीटीसी के मूल्य संवर्धित टूर पैकेजों के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली में चिह्नित की जाने वाली बर्थों की संख्या को आईआरसीटीसी द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के सीसीएम/पीएम के परामर्श से प्रथम ट्रिप से निर्धारित प्रारंभ से कम से कम एआरपी +10 दिन पहले अंतिम रूप दिया जाएगा।

1.2 इस प्रयोजन के लिए चिह्नित की जाने वाली बर्थों की संख्या, गाड़ी में स्लीपर श्रेणी में कुल बर्थों के 10% से ज्यादा और एसी श्रेणियों में कुल बर्थों के 15% से ज्यादा नहीं होगी।

1.3 प्रारंभ में चिह्नित की जाने वाली एकोमोडेशन, स्लीपर श्रेणी के मामले में कुल बर्थों का 5% और एसी श्रेणियों में कुल बर्थों का 10% होनी चाहिए।

1.4 उपयोग के आधार पर इसे संबंधित सीसीएम/पीएम के अनुमोदन से क्रमशः 10% और 15% तक बढ़ाया जा सकता है।

1.5 जिन बर्थों को चिह्नित करने का निर्णय लिया जाएगा, उन्हें गाड़ी के प्रोफाइल में समाहित किया जाएगा।

1.6 मूल्य संवर्धित टूर पैकेजों में व्यस्त और गैर-व्यस्त दोनों अवधियाँ शामिल होंगी।

1.7 टूर की अवधि के दौरान नियतकालिकता (Periodicity) तथा बर्थों की संख्या एक समान होनी चाहिए ताकि पीआरएस में अलग-अलग डाटाबेस रखने की आवश्यकता कम हो। इस संबंध में किसी भी प्रकार की छूट देने के संबंध में निर्णय सीसीएम/पीएम के परामर्श से किया जाए।

1.8 आईआरसीटीसी इन चिह्नित बर्थों के आधार पर मूल्य संवर्धित टूर पैकेज तैयार करेगी, जिसमें दर्शनीय स्थलों की सैर, ठहरना, आदि शामिल होगा और इन पर्यटन कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए इनका प्रचार करेगी। संबंधित सीसीएम/पीएम द्वारा मूल्य संवर्धित टूर पैकेजों के लिए चिह्नित एकोमोडेशन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और जहां-कहीं यह पाया जाए कि ये पैकेज बहुत कम लोकप्रिय हैं तो इस प्रकार चिह्नित एकोमोडेशन को कम किया जा सकता है अथवा उसे वापस लिया जा सकता है।

2.0 भुगतान

2.1 आईआरसीटीसी द्वारा उपयोग की गई प्रत्येक बर्थ के लिए आईआरसीटीसी, पूरा किराया जमा 25% सेवा कर का भुगतान करेगी। इस प्रकार के टूर पैकेज के टिकटों के मामले में, किसी भी तरह की कोई भी रियायत अनुमेय नहीं होगी। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, आदि के टिकटों को भी पूरे किराए पर जारी किया जाएगा। सेवा कर सहित किराए का आकलन करने तथा उसे जमा करने की विधि अनुलग्नक में स्पष्ट की गई है।

2.2 एकोमोडेशन को चिह्नित करते समय प्रत्येक सर्किट के पहले ट्रिप के लिए कुल चिह्नित बर्थों के लिए लागू ऊपर उल्लिखित सेवा प्रभार सहित यात्री किराए के बराबर एकमुश्त राशि जमा उस राशि की 25% राशि ली जाएगी। उस खास मूल्य संवर्धित टूर पैकेज की समयावधि पूरी हो जाने के बाद इस जमा राशि को रिफंड कर दिया जाएगा।

2.3 आईआरसीटीसी, बुक पर्यटकों के नामों की सूची अन्य संगत ब्यौरों जैसे कि लिंग, आयु आदि सहित गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले सीसीएस/पीएम और साथ ही, गाड़ी के ऑरिजिनेटिंग स्टेशन पर सीआएस/चार्टिंग को देगी। इन ब्यौरों को पीआरएस डाटा बेस और चार्ट में भी सम्मिलित किया जाएगा।

2.4 आईआरसीटीसी, क्रिस और सीसीएम/पीएम के परामर्श से आईआरसीटीसी द्वारा चिह्नित किए गए बर्थों की ई-बुकिंग की प्रक्रिया निर्धारित करेगी। यदि बुकिंग ई-टिकटिंग के जरिए की जाती है तो मूल्य संवर्धित टूर पैकेजों के लिए विद्यमान रोलिंग एकमुश्त जमा राशि, जो आईआरसीटीसी, उत्तर रेलवे के पास जमा करा रही है, में से आईआरसीटीसी द्वारा यथा लागू किराया और आईआरसीटीसी द्वारा बुक की गई बर्थों के लिए 25% सेवा प्रभार के समायोजन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा।

3.0 टिकटों को रद्द करना, रिफंड करना और अन्य सुरक्षा उपाय करना

3.1 आईआरसीटीसी के लिए इस प्रयोजन के लिए चिह्नित बर्थों में से, 20% से अधिक चिह्नित बर्थों को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे के भीतर रद्द करने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2 गाडियों के निर्धारित प्रस्थान-समय से 48 घंटे पहले आईआरसीटीसी द्वारा रेलवे को रिलीज की गई अप्रयुक्त बर्थों का उपयोग, उस गाड़ी के तत्काल प्रतीक्षा-सूची और उसके बाद सामान्य प्रतीक्षा-सूची को अपडेट करने के लिए किया जाएगा।

3.3 गाड़ी रद्द होने/ऐसा कोच जिसमें वैट पैकेज के लिए स्थान निर्धारित किया गया है, को नहीं जोड़े जाने की स्थिति में आईआरसीटीसी को देय रिफंड, रिफंड नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य होगा।

3.4 आईआरसीटीसी के अधिकारी वैट की अतिरिक्त विशेषताओं (फीचर्स) का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करेंगे और कुल पैकेज के लिए कस्टमरों की प्रतिक्रिया जानने की ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे ग्राहक के लिए इसका महत्व बना रहे, तथा यह स्कीम दीर्घकाल तक चले।

3.5 ये आईआरसीटीसी का ब्रांडेड टूर पैकेज होने चाहिए।

3.6 आईआरसीटीसी को गैर-व्यस्त अवधि, जब अधिकांश गाडियां खाली जाती हैं, के दौरान एक अत्यंत जोरदार अभियान चलाना सुनिश्चित करे।

3.7 भारतीय रेलवे, यात्री और आईआरसीटीसी के बीच किसी करार/व्यवस्था से हुई किसी परिणामी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यदि अल्प सूचना में यह योजना/पैकेज समाप्त कर दी जाती है तो उसके कारण हुई किसी क्षति के लिए भी भारतीय रेलवे उत्तरदायी नहीं होगी।

3.8 भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व एकमात्र आईआरसीटीसी का होगा।

3.9 यदि कुछ क्षेत्रीय रेलवे में सीसीएम/पीएम का कोई पद न हो, तो इन शक्तियों का प्रयोग सीसीएम/पीएस या मुख्य वाणिज्य प्रबंधक द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इसे इस मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है। ये अनुदेश 01.04.2016 से प्रभावी होंगे।

सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2013/टीजी-I/20/पी/वैट नई दिल्ली, दिनांक 06.05.2016

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली को 36 अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित :

1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता (टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि. का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) एम डी/आई आर सी टी सी, बी-148, 11 वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226001।.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जेएल नेहरू रोड, कोलकाता-71.